प्रेस नोट
थाना- सीपरी बाजार,
जनपद- झाँसी

दिनांक 29.11.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **हत्या के अभियोग में 04 वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 29.11.2025 को समय करीब 12.30 बजे थाना सीपरी बाजार पुलिस की गठित टीमों द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 451/2025 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण **1. कैलाश उर्फ टकलू रायकवार पुत्र सुरेश रायकवार** उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- म0नं0 988, रेलवे आफीसर्स कालोनी, पानी की टंकी के पास, थाना- नवाबाद, जनपद- झाँसी **2. राहुल उर्फ माली पुत्र छोटेलाल रायकवार** उम्र 23 वर्ष, निवासी- म0नं0 ए-14, रेलवे आफीसर्स कालोनी, थाना- नवाबाद, जनपद- झाँसी, **3. शिवम उर्फ शिब्बू रायकवार पुत्र रमेश रायकवार** उम्र 19 वर्ष, निवासी- मोहल्ला रानी लक्ष्मीनगर, थाना- प्रेमनगर, जनपद- झाँसी **4. धीरज सरसैया पुत्र नरेश सरसैया** उम्र 25 वर्ष, निवासी- बंगला नं0 बी-14, आऊट हाऊस रेलवे ऑफिसर्स कालोनी, थाना- नवाबाद, जनपद- झाँसी को बेसिक प्राईमरी पाठशाला, सूती मिल थाना क्षेत्र- सीपरी बाजार, झाँसी से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 28.11.2025 को श्रीमती अंजना पत्नी जीवन रजक निवासी- ग्राम अठोंदना, थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी द्वारा थाना सीपरी बाजार पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 26.11.2025 समय लगभग 23:00 बजे उसके भाई प्रमोद सरसैया पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद सरसैया निवासी- बंगला नं बी 6, रेलवे ऑफिसर कॉलोनी,जनपद- झाँसी को उसके दोस्त 1.राहुल रायकवार उर्फ माली पुत्र छोटेलाल, 2.टकलू पुत्र सुरेश 3.धीरज सरसैया पुत्र नरेश सरसैया 4. शिवम उर्फ शिब्बू रायकवार पुत्र रमेश रायकवार, निवासी- रेलवे ऑफिसर कॉलोनी, झाँसी अपने साथ पार्टी करने के बहाने से बुला कर ले गये थे। जहां पर उनमें किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गयी तो उन चारों ने मिलकर श्रीमती अंजना के भाई प्रमोद सरसैया उपरोक्त की हत्या कर दी। वादिनी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0- 451/25 धारा 103(1),238 बी.एन.एस में पंजीकृत किया गया।

आज दिनाँक 29.11.2025 को थाना सीपरी बाजार पुलिस की गठित टीमों द्वारा मु0अ0सं0- 451/25 धारा 103(1),238 बी.एन.एस के संबंध में अभियुक्तगण 1.कैलाश उर्फ टकलू रायकवार 2. राहुल उर्फ माली रायकवार 3. शिवम उर्फ शिब्बू रायकवार 4. धीरज सरसैया को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी का दिनाँक ,समय एवं स्थानः—

दिनांक 29.11.2025 को समय करीब 12.30 बजे बेसिक प्राईमरी पाठशाला, सूती मिल, थाना- सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी।

अभियुक्तागण का विवरण –

1. कैलाश उर्फ टकलू रायकवार पुत्र सुरेश रायकवार उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- म0नं0 988, रेलवे आफीसर्स कालोनी, पानी की टंकी के पास, थाना- नवाबाद, जनपद- झाँसी
2. राहुल उर्फ माली पुत्र छोटेलाल रायकवार उम्र 23 वर्ष, निवासी- म0नं0 ए-14 रेलवे आफीसर्स कालोनी थाना नवाबाद जनपद-झाँसी
3. शिवम उर्फ शिब्बू रायकवार पुत्र रमेश रायकवार उम्र 19 वर्ष, निवासी- मोहल्ला रानी लक्ष्मीनगर, थाना- प्रेमनगर, जनपद-झाँसी
4. धीरज सरसैया पुत्र नरेश सरसैया झाँसी उम्र 25 वर्ष, निवासी- बंगला नं0 बी-14, आऊट हाऊस, रेलवे आफीसर्स कालोनी, थाना- नवाबाद जनपद- झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्र, थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी
2. अति0नि0 श्री महेश चन्द्र, थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी
3. उ0नि0 श्री अनुराग शर्मा, थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी
4. का0 868 पंकज सिंह , थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी
5. का0 98 धारा सिंह, थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी
6. का0 1891 गोविन्द लवानिया, थाना सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी